<u>न्यायालयः—साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> <u>चन्देरी, जिला—अशोकनगर (म.प्र.)</u>

<u>दांडिक प्रकरण कं.-278/11</u> <u>संस्थापित दिनांक-18.07.2011</u> Filling no-235103002332011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :— आरक्षी केन्द्र पिपरई जिला अशोकनगर। अभियोजन
विरुद्ध
1— पप्पू पुत्र बारेलाल अहिरवार उम्र 36 साल
2— कलेक्टर उर्फ कल्ला पुत्र बारेलाल उम्र 31 साल
3— जयपाल उर्फ राजपाल पुत्र बारेलाल उम्र 25 साल
4— उदयभान पुत्र बारेलाल अहिरवार उम्र 34 साल निवासीगणः— ग्राम जमाखेडी पिपरई जिला अशोकनगर
आरोपीगण

-: <u>निर्णय</u> :--

<u>(आज दिनांक 27.09.2017 को घोषित)</u>

- 01— अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 325, 323/34, 426 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि दिनांक 23.03.2011 को 20.30 बजे ग्राम जमाखेडी में सामान्य आशय का गठन कर उसके अग्रसरण में फरियादी मिठूआ के साथ मारपीट कर उसकी अस्थिभंग कर स्वेच्छया घोर उपहित कारित की एवं सामान्य आशय का गठन कर उसके अग्रसरण में आहत प्रतिपाल के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा फरियादी को नुकसान कारित करने के आशय से उसके खेत में लगी फसल को भैंसो से चराकर रिष्टि कारित की।
- 02— अभियोजन का पक्ष संक्षेप मे है कि फरियादी मिठुआ ने अपने लडके प्रतिपाल के साथ थाना पिपरई में इस आशय की जुबानी रिपोर्ट लेख कराई कि पप्पू की भैंस आये दिन उनकी फसल का नुकसान करती रहती है, पप्पू से कहा तो दिनांक 23.03. 2011 को करीब 20:30 बजे पप्पू, कलेक्टर, उदयभान, राजपाल ने उसे तथा लडका प्रतिपाल की लाठियों से मारपीट की जिससे उसके दोनो बखा की दांहिने हाथ के कोंचा, बांयी आंख की भौं पर जगह—जगह मुंदी चोटे आई। प्रतिपाल के दांहिने पैर के घुटने बांये हाथ के कोंचा व सिर में जगह—जगह मुंदी चोटे आई। पहलवान व रमेश ने घटना देखी है और बचाया भी था। पुलिस द्वारा अन्वेषण के दौरान घटना

स्थल का नक्शामौका बनाया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

03— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढकर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। अभियुक्त परीक्षण किये जाने पर स्वयं को निर्दोश होना व रंजिशन झुठा फसाया जाना एवं बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

04- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :--

- 1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 23.03.2011 को 20.30 बजे ग्राम जमाखेडी में सामान्य आशय का गठन कर उसके अग्रसरण में फरियादी मिठूआ के साथ मारपीट कर उसकी अस्थिभंग कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की ?
- 2. क्या अभियुक्तगण द्वारा उक्त दिनांक समय व स्थान पर सामान्य आशय का गठन कर उसके अग्रसरण में आहत प्रतिपाल के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की ?
- 3. क्या अभियुक्तगण द्वारा उक्त दिनांक समय व स्थान पर फरियादी को नुकसान कारित करने के आशय से उसके खेत में लगी फसल को भैंसो से चराकर रिष्टि कारित की ?

:: सकारण निष्कर्ष ::

विचारणीय प्रश्न क0 1 व 2:--

05— विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 व 2 एक दूसरे से सम्बधित होने से व साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकनेके लिये उक्त दोनो विचारणीय प्रश्नो का एक साथ निराकरण किया जा रहा है । अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। फरियादी मिठुआ आ सा 1 ने अपने न्यायालयीन कथनो मे बताया कि वह आरोपीगण को जानता है घटना उसके न्यायालयीन कथनो से एक साल पहले की होकर रात के सात बजे की है घटना स्थल उसका खेत है जहा पर पुरानी बाखल बनी है । उक्त साक्षी का कहना है कि आरोपी पप्पू प्रतिदिन उसकी फसल में भैसे छोड देता था जब उसका लडका प्रतिपाल पप्पू से कहने गया तो प्रतिपाल को आरोपी पप्पू ने मकान मे बांध लिया तो पहलवान बोला कि इसे छोड दो । जब मै गया तो चारों आरोपीगण लटठ लेकर पारपीट करने चेट गये जिससे गले की हडडी में पीठ में चोट आयी थी और मैं बेसूध हो गया था। प्रतिपाल के घूटने में चोट आयी थी। उक्त साक्षी का कहना है कि उसने पुलिस को प्रपी—1 के ए से ए भाग में ग्राम.......... करता हूँ कि रिपोर्ट लेखबद्ध करा दी थी।

- 06— प्रतिपाल आ सा 2 का कहना है कि घटना उसके कथनो से दो साल पहले की होकर दिन के 12 से दिन डूबने तक की है घटना के समय वह खेत पर था। घ ाटना के दिन पप्पू को भैसे चराने से मना किया तो आरोपीगण ने उसे चप्पले मारी इसके बाद उसने पिता मिठअुआ को रमेश के माध्यम से घर से बुलवाया था उक्त घ ाटना आरोपीगण के घर के दालान की है जिसमे उसे बांध लिया था। उक्त साक्षी का कहना है कि घटना के समय आरोपी पप्पू ने डंडे से मरा था जिससे उसे घुटने सिर कमर मे चोट आयी थी मौके पर पहलवान, रमेश, गजेन्द्र भी मौजूद थे। रमेश आ सा 3 ने उसके कथनो मे बताया कि घटना राते आठ बजे की है घटना उसके घर की है। चारो आरोपीगण आये प्रतिपाल को पकड लिया और उसे बांध दिया और उसमे जूते मारे। पिता मिटुआ आये थे उसे पप्पू कल्ला, उदयभान, जयपाल ने डंडे मारे तो मिटुआ आडा गिर गया।
- 07— रामबाबू शर्मा आ सा 6 ने उसके कथनों में बताया है कि उसके व्दारा दिनांक 24.3.11 को फरियादी मिटुआ व्दारा आरोपीगण के विरूद्ध धारा 323, 324, भा द वि की अदम चैक रिपोर्ट लेख करायी थी जो प्र पी 1 है । मिटुआ को अस्थिभंग होने से धारा 325 भादवि का इजाफा कर कायमी की थी और असल कायमी जी बी सुमन दरोगा जी ने की थी।
- 08- डॉ. प्रशांत दुबे आसा. 9 ने उसने अपने कथनों में बताया है कि वह दिनांक 24.03.11 को प्राथमिक स्वा. केन्द्र पिपरई में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ था और उक्त दिनांक को आहत मिटुआ पुत्र मलथुआ का मेडीकल परीक्षण किया था जिसमें मिटुआ को बांय कंधे के पीछे एक सूजन जिसका आकार 8 गुणा 2 सेमी. था तथा उक्त दिनांक को ही आहत प्रतिपाल का मेडीकल परीक्षण किया था जिसमें प्रतिपाल को चोट का कोई भी निशान नहीं पाया था। डॉ. एस.एस.छारी असा. 7 ने अपने कथनों में बताया है कि उसके द्वारा दिनांक 26.03.11 को मिटुआ के बांये कंधे का एक्सरे परीक्षण किया था। एक्सरे रिपोर्ट कं. 4215 के अनुसार मिटुआ के बांये कंधे के क्लेवीकल हडडी में अस्थिभंग पाया था।
- 09- फरियादी मिठुआ के द्वारा लेखबद्व करायी गयी अदम चैक रिपोर्ट प्रपी—1 का अवलोकन करने से दर्शित है कि मिठुआ द्वारा उसे तथा प्रतिपाल को आरोपीगण द्वारा लाठीयों से मारपीट करने वाली बात लेखबद्व करायी थी, किंतु फरियादी मिठुआ एवं आहत प्रतिपाल के अनुसार आरोपीगण द्वारा प्रतिपाल को आरोपीगण के घर पर बांध लेने और मारपीट करने के कारण घटना की शुरूआत होना व्यक्त किया है, जबिक अदम चैक रिपोर्ट में आरोपीगण द्वारा आहत प्रतिपाल को उनके घर पर बांध लेने के सबंध में कोई उल्लेख नही है। इसके अलावा घटना दिनांक 23.03.11 को शाम करीब 20:30 बजे होने का उल्लेख है, जिसकी रिपोर्ट थाने पर दिनांक 24.03.11 को सुबह 11:05 बजे होना लेख है। इस संबंध में अदम चैक रिपोर्ट प्रपी—1 या स्वयं फरियादी मिठुआ एवं आहत प्रतिपाल के द्वारा इस संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण नही दिया गया है या कारण बताया गया है कि घटना दिनांक को ही फरियादी पक्ष द्वारा आरोपीगण के विरूद्व प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्व क्यों नही करायी गयी, जबिक घटना स्थल से थाने की दूरी महज 11 किलो मी. होने का उल्लेख है।

- 10— प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य घटना स्थल है। मिठुआ आसा.—1 ने घटना स्थल पुरानी बाखर होना व्यक्त किया। जबिक आहत प्रतिपाल ने उसके मुख्य परीक्षण में बताया कि वह घटना के समय खेत पर था। रामबाबू शर्मा आसा.—6 ने उसके प्रतिपरीक्षण के पैरा 2 में बताया कि उसे मिठुआ ने अदम चैक लिखाते समय घटना पुरानी बाखर में होना नहीं बताया था, तथा घटना स्थल का नक्शा मौका प्रपी—12 का अवलोकन करने से घटना स्थल खरंजा होना उल्लेखित है। इस संबंध में एन.पी.मोर्य आसा.—10 ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 3 में बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा घटना स्थल प्रपी—12 बताया है वह खरंजा होकर आम रास्ता है, जबिक एक अन्य साक्षी रमेश आसा.—3 ने घटना उसके घर की होना उसके कथनों में व्यक्त किया है।
- 11- मिठुआ आसा.-1 ने उसके मुख्य परीक्षण में बताया कि चारों आरोपीगण लठठ लेकर उसकी मारपीट करने चैंट गये थे, जिससे उसकी गले की हडडी में, पीठ में चोट आयी थी जिससे वह बेसूद हो गया था और प्रतिपाल के घुटने में चोट आयी थी। जबकि फरियादी मिठुआ व आहत प्रतिपाल का मेडीकल परीक्षण करने वाले साक्षी डॉ. प्रशांत दुबे आसां-9 ने मिठुआ के बांये कंधे के पीछे एक सूजन एवं आहत प्रतिपाल को परीक्षण में कोई भी चोट का निशान न होना व्यक्त किया है। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस बात को स्वीकार किया है कि मिठुआ के गले की हडडी, पीठ व कमर व घूटने में कोई भी चोट नही पायी थी, तथा मिठ्आ को जो चोट आयी है वह गिरने से आना संभव होना व्यक्त किया है। यदि आरोपीगण द्वारा फरियादी मिठुआ को लाठीयों से मारा गया और मिठुआ के अनुसार वह मारपीट में बेसूद हो गया था तो क्या कारण है कि मेडीकल रिपोर्ट में उक्त साक्षी के केवल कंधे के पीछे केवल एक सूजन जिसका आकार 8 गुणा 2 सेमी. था आयी और प्रतिपाल के शरीर पर मेडीकल परीक्षण में कोई भी चोट के निशान नही पाये गये। स्वंय फरियादी मिठुआ ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 5 में इस बात को स्वीकार किया है कि उसका आरोपीगण से जमीन का विवाद है। आरोपीगण द्वारा उसकी चार बीघा जमीन जोत ली है। इसी कारण से आरोपीगण से बुराई है। मिठुआ ने यह भी बताया है कि वह चाहता है कि आरोपीगण से उसे उसके हिस्से की चार बीघा जमीन मिल जावे। आहत प्रतिपाल ने भी प्रतिपरीक्षण के पैरा 9 में आरोपीगण से जमीन के बटवारे का लेकर विवाद होना स्वीकार किया है। इसके अलावा अभियोजन साक्षी पहलवान आसा. –4, गोरेलाल असा.–5 और बारेलाल असा.–8 द्वारा अभियोजन कहानी का लेशमात्र भी समर्थन नही किया है जिससे उक्त साक्षीगण की साक्ष्य से अभियोजन को कोई लाभ प्राप्त नही होता है।
- 12— अतः स्पष्ट है कि प्रकरण में जो साक्ष्य पेश की गयी है। उक्त साक्ष्य में घटना स्थल को लेकर साक्षीगण ने विरोधाभाष है, जबिक अभियोजन कहानी में घटन स्थल भिन्न है, तथा घटना की रिपोर्ट भी घटना के एक दिन पश्चात की गयी है। जबिक घटना स्थल से थाने की दूरी महज 11 कि.मी. दूर है। फरियादी पक्ष तथा आरोपीगण के मध्य जमीन को लेकर विवाद होने से उन्हें झूंठे फंसाये जाने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। जहां भूसे में से गेहूँ को अलग करना संभव न हो वहां

संपूर्ण साक्ष्य अमान्य करना न्याय संगत होता है। इस प्रकरण की साक्ष्य इस प्रकृति नहीं है कि जिस पर विश्वास किया जा सके।

विचारणी प्रश्न कं.-3

- 13— मिठुआ असा.—1 ने बताया कि जिस खेत में आरोपीगण की भैंस खेत में घुस गयी थी उसका सर्वे नंबर उसे नहीं पता, और उक्त खेत के कोई कागज उसके द्वारा पेश नहीं किये गये हैं। साक्षी ने स्वतः कहा कि अभी बटवारा नहीं हुआ है। जिस खेत की फसल का नुकसान हुआ था उस खेत में आरोपी पण्म के पिता का नाम भी है। प्रतिपाल असा.—2 ने इस बात को स्वीकार है कि जिस खेत में भैंसे चरने गयी थी वह लालिसंह, रमेश, बारेलाल, मोहनलाल आदि बहुत से लोगों के नाम है और उक्त भूमि का बटवारा नहीं हुआ है। प्रतिपाल असा.—2 ने बताया कि आरोपीगण ने उसके मकान जो कि तीन म्यार का था गिरा दिया था, जिससे मकान के छांव के पूरे खपरे टूट गये थे। उक्त साक्षी का कहना है कि उसक पांच सौ रूपये का नुकशान नहीं हुआ था स्वतः कहा कि दस हजार रूपये का नुकशान हुआ था। पहलवान असा.—4 ने इस बात से इंकार किया कि पुलिस ने प्रडी—1 के नुकशानी पंचनामे पर उसके सामने लिखापढ़ी की थी। इस बात से इंकार किया है कि उसने प्रतिपाल के घर के टूटे खपरे देखे थे। प्रडी—1 के नुकशानी पंचनामे का अवलोकन करने से उक्त पंचनामे के अनुसार पांच सौ रूपये का नुकशान होना लेख है किंतु उक्त नुकशान पांच सौ रूपये के आकलन किये जाने के संबंध में प्रडी—1 में कोई उल्लेख नहीं है। है तथा अदम चैक रिपोर्ट प्रपी—1 में भी नुकशान होने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।
- 14— अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्तानुसार किये गये विशलेषण के आधार पर अभियोजन यह युक्ति युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 23.03.2011 को 20.30 बजे ग्राम जमाखेडी में सामान्य आशय का गठन कर उसके अग्रसरण में फरियादी मिठूआ के साथ मारपीट कर उसकी अस्थिमंग कर स्वेच्छया घोर उपहित कारित की एवं उक्त दिनांक समय व स्थान पर सामान्य आशय का गठन कर उसके अग्रसरण में आहत प्रतिपाल के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा फरियादी को नुकसान कारित करने के आशय से उसके खेत में लगी फसल को भैंसो से चराकर रिष्टि कारित की। अतः आरोपी पप्पू कलेक्टर उर्फ कल्ला, जयपाल उर्फ राजपाल एवं उदयभान सिंह के विरूद्ध धारा 325, 323/34, 426 भा0द0वि0 का आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्तगण को उक्त आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 15— अभियुक्तगण द्वारा निरोध में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जाकर प्रकरण में संलग्न किया जावे।
- 16- प्रकरण के निराकरण हेतु कोई मुद्देमाल विद्यमान नहीं है।

17- अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,दिनांकित मेरे निर्देशन में टंकित किया गया। कर घोषित किया गया ।

साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0 साजिद मोहम्मद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0